

drugs, intermediates and raw materials is to encourage the manufacture of bulk drugs and formulations from more basic stages as also to ensure the availability of medicines in abundant quantity at reasonable prices to the consumers.

The names of bulk drugs on which Government reduced/exempted custom duty during the year 1991 and 1992 have been given in Ministry of Finance Notification No. 45/79-Customs dated 1-3-1979 (as amended from time to time) and Notification No. 216/92-Customs dated 19-6-92. The copies of these notifications are available in the Parliament Library. As regards the names of major producers of formulations based on each drug, their number being very large, the time and labour involved in the collection and compilation of this voluminous information will not be commensurate with the results likely to be achieved.

#### Suspension of Labourers in F.C.I.

3078. SHRI VISHWASRAO RAM RAO PATIL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that five labourers have been suspended in the factory of Fertilizer Corporation of India at Sindri (Dhanbad), Bihar as appeared in *Jansatta* dated 2nd July, 1992 under the caption Sindri Karkhane Me Panch Maj-door Nilambit".

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF CHEMICALS AND  
FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN):  
(a) to (c) Five workers of the Sindri Unit of  
Fertilizer Corporation of

India Limited (FCI) were suspended with effect from 29-6-1992 on account of misconduct. FCI have reported that these employees prevented the contract workers from bagging work and also mis-behaved with the Plant Manager. Departmental proceedings have also been initiated against them.

#### उर्वरक क्षत्र के कर्मकारों के वेतनमानों में असमानता

3079. श्री राजूभाई ए० परमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक क्षेत्र के कर्मकारों के वेतनमानों में असमानता विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चौथे वेतन आयोग ने क्या-क्या सिफारिशों की हैं और किस क्षेत्र में इन्हें लागू नहीं किया है; और

(घ) जिन क्षेत्रों में उक्त सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है उनमें इन्हें लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन): (क) और (ख) सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की प्रत्येक उर्वरक कंपनी में श्रमिकों के वेतनमान को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग (भाग 1) की रिपोर्ट जो अन्य बातों के साथ-साथ वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित थी, 18 जुलाई, 1986 (अंग्रेजी रूपान्तर), 4 नवम्बर, 1986 (हिन्दी रूपान्तर) सभापटल पर रखी गयी थी। आयोग की सिफारिशें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों सहित सरकार के विभागीय उपक्रमों के औद्योगिक श्रमिकों से सम्बन्धित है और ये सिफारिशें सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में लागू कर दी गयी हैं। केन्द्रीय वेतन आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सिफारिश नहीं की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

दिनांक 1-1-87 से लागू 5 वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत श्रमिकों के वेतनमान

टिप्पणी

एफ० सी० आई-एन०एफ०एल०  
समूह की कम्पनियों अर्थात्  
एफ० सी० आई०, एच० एफ० सी०,  
आर० सी० एफ०, पी० डी० आई०  
एल०, एन० एफ० एल०

1100-20-1400  
1185-20-1265-21-1475  
1195-21-1279-25-1554  
1235-25-1360-27-1630  
1235-28-1459-33-1723  
1350-44-1526-52-2098  
1350-44-1526-52-1734-61-2222  
1395-32-1603-61-2335  
1420-52-1732-61-2403  
1580-61-2129-71-2555  
1580-71-1935-78-2247-85-2842

पी० पी० एल०

जहां तक पी० पी० एल० का सम्बन्ध है 1-1-88 से 31-12-91 तक की अवधि के लिए श्रमिकों के संशोधित वेतनमान एफ. सी. आई/एन० एफ० एल० समूह की कम्पनियों के जैसे ही हैं ।

एम० एफ० एल०

ग्रेड 1 : 1100-20-1200-30-1350-40-1550  
ग्रेड 2 : 1165-30-1315-40-1515-50-1765  
ग्रेड 3 : 1225-40-1425-50-1675-60-1975  
ग्रेड 4 : 1325-50-1575-60-1875-70-2225  
ग्रेड 5 : 1485-60-1785-70-2135-80-2535-90-2985

ई.वट	1100-20-1460
	1145-23-1260-27-1611
	1175-27-1310-31-1713
	1215-31-1370-35-1825
	1255-35-1430-40-1950
	1300-40-1500-45-2085
	1340-45-1565-50-2215
	1385-50-1635-56-2363
	1435-56-1715-63-2534
	1480-63-1795-70-2635
	1535-70-1885-77-2732
	1595-77-1980-85-2830
पी. पी. सी. एल.	1300-15-1570
	1380-20-1700
	1400-25-1800
	1450-30-1930
	1500-35-2060
	1550-40-2190
	1600-45-2320
	1650-50-2450
	1700-55-2580
	1850-60-3110

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

दिनांक 1-1-87 से लागू 5 वर्षों की अवधि के लिए सरकार द्वारा  
स्वीकृत श्रमिकों के वेतनमान

टिप्पणी

**सहकारी क्षेत्र**

इफको . . . . . 1105-18-1285-20-1385  
1150-20-1330-22-1418  
1170-22-1302-24-1446  
1230-24-1398-31-1646  
1295-31-1512-38-1816  
1325-31-1511-38-1853  
1390-52-1598-61-2086  
1565-71-1849-78-2473  
1715-85-2055-90-2775

कृषको . . . . . 1100-18-1280-20-1380  
1150-20-1330-22-1418  
1170-22-1302-24-1446  
1230-24-1398-31-1646  
1295-31-1512-38-1816  
1325-31-1511-38-1853  
1390-52-1598-61-2086  
1565-71-1849-78-2473  
1715-85-2055-90-2775